बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्र सं0- ग्रा0वि0-1/स्था0 (प्रशिक्षण)-15/2013- 153989 पटना, दिनांक- 02.07.13

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

महानिदेशक,
बिपार्ड, पटना ।

विषय: **ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि ग्रामीण विकास सेवा नियमावली 2010 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध 534 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है जो अंतिम चरण में है ।

2- बिहार ग्रामीण विकास सेवा नियमावली 2010 में इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नवत् प्रावधान हैं :-

> **" सेवा में प्रविष्टि के बाद प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी । सामान्यत: प्रथम चरण में प्रशिक्षण की यह अवधि तीन माह एवं द्वितीय चरण में एक माह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)/ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) में होगी । दोनों चरणों के बीच एक माह का प्रशिक्षण किसी ग्राम पंचायत में, चार माह का प्रशिक्षण प्रखंड में, एक माह का प्रशिक्षण अनुमंडल में एवं दो माह का प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा । प्रशिक्षण के अंत में कार्यकलापों का मूल्यांकन बिपार्ड/सर्ड द्वारा किया जाएगा । "**

3- इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में माननीय मंत्री ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में बैठक में चर्चा हुई है ।

4- अनुरोध है कि इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करायी जाए । साथ ही साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित करने की कृपा की जाए ।

5- माननीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा के क्रम में बिपार्ड में इतने पदाधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण कराने हेतु स्थान एवं क्षमता की कमी बतायी गयी थी । अभी हाल में सरकार द्वारा प्रमंडलीय आयुक्तों को अपर महानिदेशक, बिपार्ड के रूप में नामित किया गया है । तदनुसार इस संभावना पर भी विचार किया जा सकता है कि प्रमंडलीय आयुक्तों के मार्गदर्शन में प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान चिन्हित कर बिपार्ड द्वारा निर्धारित कोर्स में समानान्तर तरीके से प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए ।

6- ग्रामीण विकास पदाधिकारी का जॉब प्रोफाइल संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयवस्तु पर उचित कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षण की प्रस्तावित कार्ययोजना से अवगत कराने की कृपा की जाए । साथ ही साथ प्रशिक्षण हेतु राशि की आवश्यकता का ऑकलन कर अवगत कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

2/7/13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव